प्रेस विज्ञप्ति

24.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने 23/02/2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई/ईडी, न्यायालय संख्या 2, लखनऊ के समक्ष आरिफ अनवर हाशमी (पूर्व विधायक, उतरौला, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश) व उनकी पत्नी रोज़ी सलमा के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की है।

ईडी ने उप्र पुलिस द्वारा भा.दं.सं., 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत आरिफ अनवर हाशमी व उनके सहयोगियों के विरुद्ध दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच के उपरांत, उप्र पुलिस ने आरिफ अनवर हाशमी व अन्य के विरुद्ध कई आरोप-पत्र दायर किए हैं, जिसमें गैर-कानूनी कब्ज़ा, जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश के अपराध साबित हुए हैं।

यह भी पता चला है कि आरिफ अनवर हाशमी व उनकी पत्नी रोज़ी सलमा के बैंक खातों में बिना हिसाब-किताब के बड़ी रकम जमा थी, जो उनके द्वारा घोषित आय के स्रोतों बिल्कुल भिन्न थी। जांच के दौरान, वे नगद जमा, जिसमें अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे भी शामिल थे, के स्रोतों को उचित सिद्ध नहीं कर पाए। आरोपित व्यक्तियों ने अधिसूचित अपराधों के माध्यम से **8.24 करोड़ रुपये** की अपराध की आय उत्पन्न की थी।

ईडी ने 24.09.2024 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से आरिफ अनवर हाशमी व उनकी पत्नी रोज़ी सलमा की 8.24 करोड़ रुपये की कृषि भूमि, आवासीय भूखंड व फ्लैट के रूप में 21 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। उक्त संपत्तियां उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, लखनऊ और गोंडा ज़िलों में स्थित हैं। कुर्क की गई संपत्तियां पीएमएलए के तहत अधिसूचित अपराध करने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न अपराध की आय से अर्जित की गई थीं। पीएमएलए के तहत विद्वान न्याय-निर्णयन प्राधिकरण ने 03.03.2025 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त कुर्की आदेश की पुष्टि की है।

आगे की जांच चल रही है।